UPSR010005132016

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– राकेश धर दुबे, **(उच्चतर न्यायिक सेवा)** – UP02008

सत्र परीक्षण नं०-71/2016

राज्य ....**अभियोगी**

बनाम

1–तुल्ला उर्फ जहीर पुत्र चांद अली

2–मोहर्रम अली पुत्र बहादुर

3–सकीना पत्नी चांद अली

4–आयशा पत्नी तुल्ला उर्फ जहीर

निवासीगण–गोबार, दा0–वर्गीवर्गा, थाना–को0 भिनगा, जनपद–श्रावस्ती।

............**अभियुक्तगण**

अ0 सं0–881/2016
धारा–323/34, 504, 506, 316 भा०दं०सं०
थाना–को0 भिनगा, जिला–श्रावस्ती

निर्णय

1– अभियुक्तगण **तुल्ला उर्फ जहीर, मोहर्रम अली, सकीना** एवं **आयशा** का विचारण पुलिस थाना को0 भिनगा, जिला श्रावस्ती द्वारा अपराध सं0 881/2016 में विवेचना के उपरान्त प्रेषित आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 323, 504, 506, 316 भा०दं०सं० के आधार पर किया गया। अभियुक्तगण का केस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती के न्यायालय द्वारा सत्र सुपुर्द किया गया।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैः–वादिनी मुकदमा श्रीमती ताहिरा पत्नी नीबर उर्फ मुंशरीफ साकिन गोबार, दा0 वर्गीवर्गा, थाना को0 भिनगा, जनपद श्रावस्ती द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती के न्यायालय में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) दं0प्र0सं0 इस आशय का प्रस्तुत किया कि घटना दिनांक 01.10.2015 समय सुबह करीब 6 या 7 बजे की है। विपक्षीगण एक राय अपने परिवार वालों की मदद से जबरन वादिनी के जमीन में मुहारा (दरवाजा) लगाने हेतु फोड़ने लगे। वादिनी बेजा हरकत करने से मना करने लगी। विपक्षीगण एक राय होकर वादिनी को भद्दी–भद्दी गालियाँ एवं मार डालने की धमकी देते हुए सकीना बेवा चांद अली ने वादिनी का बाल पकड़कर जमीन में पटक दिया और विपक्षीगण लात मूका से घूसा से

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.04.16 15:29:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मारने लगे। वादिनी के पेट में चार माह का गर्भ होने के कारण चोट उसी समय पेट दर्द शुरू हो गया एवं गुप्तांग से खून आने लगा। विपक्षीगण जबरदस्ती कब्जा कर लेने व सम्पत्ति हड़पने की धमकियॉ दे रहे थे। वादिनी दर्द से परेशान थी कि मौके पर छेदी पुत्र गुल्ले, लौहर पुत्र दल सिंगार, शाकरून पत्नी लौहर आदि ग्राम के कुल लोग मौके पर आकर वादिनी को उठाया और स्थानीय थाने पर लाकर तहरीर दिलवाया मगर कोई कार्यवाही न होने पर पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती को अन्य तहरीर दिया गया तब पुलिस अधीक्षक महोदय ने जनपदीय अस्पताल में इलाज हेतु भेजवा दिया वहॉ पर वादिनी का बच्चा पेट में ही मर जाने की जानकारी हुई मगर आज तक कोई कार्यवाही विपक्षीगण के खिलाफ नहीं हुआ है उनके हौसले काफी बढ़े हुए हैं पूर्व अपराधी भी है। अतः विनम्र निवेदन है कि रिपोर्ट पंजीकृत करवाकर विपक्षीगणों के विरूद्ध उचित कार्यवाही कराने की याचना की गयी।

उक्त प्रार्थनापत्र पर न्यायालय के आदेश से मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुई।

3– वादिनी मुकदमा की उपरोक्त तहरीर के आधार पर न्यायालय के आदेश से थाना को0 भिनगा, जिला श्रावस्ती में अभियुक्तगण तुल्ला उर्फ जहीर, सकीना, श्रीमती आयशा एवं मोहर्रम अली के विरूद्ध दिनांक 11.05.2016 को समय 09.20 बजे अपराध सं० 881/2016 अन्तर्गत धारा 323, 504, 506, 316 भा०दं०सं० के अपराध के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया। जिसकी प्रवृष्टि सम्बन्धित कायमी मुकदमा जी0 डी0 में की गयी।

4– संबंधित विवेचनाधिकारी द्वारा मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी तथा संबंधित विवेचनाधिकारी ने आवश्यक अभियोजन साक्षीगण के बयान अंकित किये, घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया एवं मामले से संबंधित आवश्यक विवेचना संपादित कर उपरोक्त अभियुक्तगण तुल्ला उर्फ जहीर, सकीना, श्रीमती आयशा एवं मोहर्रम अली के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 323, 504, 506, 316 भा०दं०सं० सम्बन्धित न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5– इस न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 05.08.2016 को उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323/34, 504, 506, 316 भा०दं०सं० के अपराध के सम्बन्ध में आरोप विरचित किया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया और विचारण की मांग की।

6– अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित साक्षीगण को, मौखिक साक्ष्य के रूप में न्यायालय में परीक्षित कराया गया और उनके द्वारा निम्न प्रदर्श को साबित किया गया है।

1–पी०डब्लू०–1 श्रीमती ताहिरा (साक्षी तहरीर प्रदर्श क–1)

2–पी०डब्लू०–2 छेदी

3–पी०डब्लू०–3 डा0 मोहम्मद निस्बाहुज्जमा खान(साक्षी अल्ट्रासाउण्ड प्रदर्श क–2)

4–पी0डब्लू0–4 शाकरून

5–पी0डब्लू0–5 वारिस अली

6–पी0 डब्लू0–6 हे0 कां0 राकेश कुमार गौड़(साक्षी एफ0 आई0 आर0 प्रदर्श क–3 व कायमी जी0 डी0 प्रदर्श क–4)

7–पी0 डब्लू0–7 डा0 दीप शिखा मिश्रा(साक्षी पूरक रिपोर्ट प्रदर्श क–5 व डिस्चार्ज स्लिप प्रदर्श क–6)

8–पी0 डब्लू0–8 निरीक्षक विनोद कुमार (साक्षी नक्शानजरी प्रदर्श क–7 व आरोपपत्र प्रदर्श क–8)

9–पी0 डब्लू0–9 डा0 आर0 आर0 विश्वास(साक्षी मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क–9)

7– अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने साक्षियों द्वारा गलत बयान दिया जाना, स्वयं को निर्दोष होना तथा अतिरिक्त कथन में कहा है कि जमीनी रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है।

8– अभियुक्त पक्ष की तरफ से अपनी प्रतिपरीक्षा साक्ष्य/सफाई साक्ष्य में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

9– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करके कथन किया गया कि अभियोजन साक्ष्य से घटना पूर्णतया साबित है। अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा को लात व मुक्का से मारा पीटा जिससे वादिनी के पेट में चार माह का गर्भ गिर गया। अभियुक्तगण द्वारा एक अजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित की गयी है। तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस मामले का क्रास केस सत्र परीक्षण सं0 10/2017, राज्य प्रति नीबर आदि, अपराध संख्या 285/2015, धारा 323, 504, 506 भा0दं0सं0, थाना भिनगा लम्बित है जिससे घटना पूर्णतया साबित है। तद्नुसार अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर दण्डित किये जाने की याचना की गयी।

10– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि सम्पूर्ण अभियोजन कथानक मिथ्या है। तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभाष है। अभियोजन साक्ष्य एवं चिकित्सकीय साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 316 भा0दं0सं0 का आरोप साबित नहीं होता है। अभियुक्तगण द्वारा एक अजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित नहीं की गयी है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप भा0दं0सं0 की धारा 323, 504, 506 साबित नहीं हैं। तद्नुसार अभियुक्तगण को उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

11– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता

(फौजदारी) की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध कराए गए समस्त साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया गया।

12क– अभियोजन की ओर से अपने केस के समर्थन में, **पी.डब्लू.1** के रूप में साक्षी श्रीमती ताहिरा पत्नी नीबर उर्फ मुंशरिफ निवासी ग्राम गोबार थाना भिनगा जनपद श्रावस्ती को परीक्षित कराया गया है जिसने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि घटना को एक साल दो माह से ऊपर हो रहा है। छः सात बजे सुबह की घटना है। तुल्ला उर्फ जहीर, मोहर्रम अली, सकीना व आयसा चारों लोग अपनी दीवाल तोड़कर दरवाजा लगा कर उसके जमीन में निकास कायम कर रहे थे। उसने मना किया सभी लोग एक राय होकर उसे गाली देने लगे जान से मारने की धमकी दिये। सकीना ने उसका बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया तब चारों लोग मिलकर उसे मारने लगे। विपक्षीगण के मारने से उसके चार माह का गर्भ गिर गया। पेट में दर्द शुरू हुआ खून जारी हो गया। मौके पर लौहर, छेदी, साकरून पहुॅच गये और उसे उठाया। अभियुक्तगण अभी भी कह रहे है कि जमीन कब्जा कर लेंगे। अभियुक्तगणों ने दरवाजा लगा लिया है। घटना के संबंध में उसने थाने पर दरख्वास्त दिया था किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई तब एस0 पी0 श्रावस्ती को प्रार्थनापत्र दिया। कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब प्रार्थनापत्र सी0 जे0 एम0 श्रावस्ती के यहॉ दिया। सी0 जे0 एम0 साहब के आदेश पर उसका मुकदमा थाने पर दर्ज हुआ था। उसने अपना इलाज सरकारी अस्पताल भिनगा में कराया था। साक्षी को प्रार्थनापत्र 156 (3) कागज सं0 बी 13/1 दिखाकर पूछा गया तो साक्षी ने कहा इस पर उसका फोटो लगा है। उसका निशानी अंगूठा लगा है। यही दरख्वास्त उसने सी0 जे0 एम0 साहब को दिया था इसी पर उसका मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें जो उसने बताया था वकील साहब ने वही लिखा था लिखने के बाद वकील साहब ने पढ़कर उसे सुनाया था तब उसने निशानी अंगूठा लगाया था। इस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया है। उसके पेट का एक्सरे भी हुआ था। घटना के सम्बन्ध में दरोगा जी ने उसका बयान लिया था।

12 ख– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रति परीक्षा** किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि नीबर उसके शौहर है। उसकी शादी को लगभग तीस साल हो रहे हैं। उसकी कुल आठ संतान है। उसका सबसे छोटा बेटा चार साल का है। उसके घर के सामने ही तुल्ला का मकान है। अभियुक्त तुल्ला व मोहर्रम अली बाहर शहर में मजदूरी करते हैं। नीबर बुजुर्ग नहीं हैं। नीबर की उम्र 32 साल होगी। उसकी उम्र भी 30–32 वर्ष होगी। उसका घर व मुल्जिमान का घर इकट्ठा है। दोनों घर के बीच एक खडंजा रास्ता है जो पूरब पश्चिम गया है। खडंजा के दक्षिण उसका घर है। खडंजा के उत्तर मुल्जिम का घर है। उसके घर का निकास उत्तर खडंजे की ओर है, यह उसका पक्का रिहायशी मकान उसके खेत में उसके नम्बर में बना है। यह खेत कितना है उसे

नहीं पता। घटना के समय तुल्ला के मकान का निकास उत्तर था। तुल्ला का दक्षिण खडंजे की तरफ कोई निकास नहीं था। घटना के दिन मुल्जिमान दक्षिण वाली दीवाल तोड़ने लगे। यह पक्की दीवाल ईंट की थी। इसमें दरवाजा लगाने के लिए मुल्जिमान पहले से बनवाकर लाकर रखे थे। जब दीवाल तोड़कर दरवाजा लगाने लगे। उसने मना किया उस समय उसके पति घर पर नहीं थे, घर पर वह उसके जेठ वारिस अली, जेठानी व छोटे–छोटे बच्चे थे। उसके पति उस समय बोरिंग करने गये थे। गांव में उसने किसी से शिकायत नहीं किया बल्कि खुद मना किया। उस समय चारों मुल्जिम हाथों में लोहे का बेलचा लिये थे। तुल्ला व उनकी मॉ हाथ में टेंगारा लिये थी। जिस जगह दीवाल फोड़े थे उसी में दरवाजा लगाये थे जो आज भी खड़ा है। उसने जब रोका सबसे पहले सकीना ने उसका बाल पकड़कर पटक दिया। खडंजे पर ही पटक दिया था, खडंजा उसके दरवाजे के सामने है। पटकने के बाद चारों लोग उसे मारने लगे। उसे लात मूका से मारा था टेंगारी व बेलचे से नहीं मारा था। जमीन पर गिरने के बाद उसके पेट पर चढ़कर सकीना ने जोर से ठोकर मारा। जब सकीना उसके पेट पर ठोकर मारी उसके चार माह का गर्भ था। उसके गुप्तांग से खून जारी हो गया पेट दर्द होने लगा। वह बेहोश हो गयी थी। थोड़ी देर बाद उसे मौके पर ही होश आ गया। जब उसे होश आया मुल्जिमान वहॉ से भाग चुके थे। जो कपड़ा वह नीचे पहने थे वह सारा गंदा हो गया। जहॉ उसके पेट पर ठोकर मारा था वहॉ जमीन पर भी काफी खून गिरा। उसके पेट के अलावा सर पर भी चोट थी। सकीना ने टेंगारे के हूरे से उसके सर पर मारा था जिससे उसके सर पर चोट आयी थी। उस दिन करीब तीन बजे उसके पति आये थे। उसके पति जब घर आये तो वे उसे लेकर थाना भिनगा आये, साथ में उसका एक लड़का आया था। थाने पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी जबकि उसके पति ने थाने पर दरख्वास्त दिया था। उस दिन वह अस्पताल नहीं गयी देर हो गयी थी। अगले दिन फिर थाने पर आयी फिर कोई सुनवाई नहीं हुई। इन दोनों को दिन भर थाने पर बैठा लिये थे। दूसरे दिन अस्पताल गयी थी, छः दिन अस्पताल भर्ती थी। वहॉ डाक्टर ने देखा था और अल्ट्रासाउण्ड किया था। जांच करने के बाद डाक्टर ने बताया कि उसका गर्भ गिर गया है जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ था खडंजे के उत्तर थी यह जमीन उसके पुरखों की नम्बरी नहीं थी आबादी थी। यह जमीन कागज में आबादी है। किसी की नम्बरी नहीं है। वह आबादी की जमीन उसकी है। घटना के समय इस जमीन पर कुछ बना नहीं था, उसकी लैट्रिन बनी थी। नांदा भी बना था जिसमें पशु वगैरा खाते थे। जब दरोगा जी मौके पर आये थे तो उसने उन्हें तुल्ला द्वारा लगाये दरवाजे को दिखाया था। अस्पताल में उसके इलाज में कोई रूपया पैसा नहीं लगा था। उस दिन उसके सामने तुल्ला व उनकी बीबी को किसी ने मारा पीटा नहीं था। तुल्ला ने घटना के दिन का ही मारपीट का मुकदमा,

उसके पति, रोज अली, जाफर व छेदी के ऊपर लिखा दिया। उस मुकदमें में उसके पति को जमानत करानी पड़ी। वह छः दिन अस्पताल में थी इस बीच थाने पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अस्पताल में उसके पति उसे लेकर घर आये फिर उसे उसके पति तहसील लेकर आये थे कितने दिन बाद आये थे, उसे याद नहीं है, उसकी तबियत जब ठीक हो गयी थी तब उसके पति उसे अस्पताल से लाये थे। अस्पताल से घर आने के बाद माह दो माह वह कोई काम नहीं कर पायी। उसने यह नहीं सुना कि तुल्ला ने उसके पति वगैरा पर मारपीट का मुकदमा लिखाया है। घटना के दो तीन माह बाद जब जांच उसके घर पुलिस वाले करने आये तब वह जान पायी कि तुल्ला ने उसके पति वगैरा पर मुकदमा लिखा दिया है। इस मुकदमे के बारे में उसके पति ने उसे बताया। इसके बाद उसके पति उसे लेकर भिनगा कचेहरी आये अपने वकील से मिले। वकील साहब से पूरी बात बतायी। उसे याद नहीं है कि उसके पति ने वकील से तुल्ला द्वारा लिखाये गये मुकदमें के बारे में बताया कि नहीं। यह उसे पूरी तरह से याद है कि मुकदमा लिखाने उसके साथ केवल उसके पति आये थे। उस दिन उसके साथ कोई गवाह कचेहरी नहीं आया था। बाद में वारिस अली, छेदी व साकरून तीन लोग आये थे। उसके तहसील लौट जाने के बाद आये थे कितने दिन बाद आये थे याद नहीं है। उसके गंदे कपड़े थाने में ही ले लिये थे। उसकी लिखा पढ़ी करके उसके टाप कराये गये थे। जब मुल्जिमान को रोकने वह घटनास्थल पर गयी उस समय मुल्जिमान व उसके अलावा वहॉ कोई नहीं था। छेदी ने कभी उससे घटना के बारे में नहीं पूछा न ही उसने उन्हें घटना के बारे में बताया। मौके पर उसे एक घंटा बाद होश आ गया था। जब उसे होश आया उस समय भी तुल्ला, सकीना, मोहर्रम अली, आयशा, छेदी, वारिस अली, साकरून वहॉ उसके दरवाजे पर मौजूद थे। जब वह मारी गयी उसे छेदी, वारिस अली व साकरून ने उसे बचाया था। मुल्जिमान छेदी, वारिस अली व साकरून को मारने नहीं दौड़े थे। घटना के दो दिन बाद कप्तान को दरख्वास्त दिया था। कप्तान जहॉ बैठते हैं वहीं दरख्वास्त दिया था। जब उसे मुल्जिमान ने मारकर अधमरा कर दिया उसके बाद उसे उसके जेठ जेठानी व बच्चे बचाने दौड़े थे। दरोगा साहब ने उसका बयान लिया था। उसने उनसे बताया था कि सकीना उसका बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया फिर उसके पेट पर चढ़कर जोर जोर से दबाया जिससे वह बेहोश हो गयी। उसके व छेदी के घर के बीच केवल तुल्ला का घर है। दूरी कसी में नहीं बता सकती। यह कहना गलत है कि दिनांक 01.10.15 को मुल्जिमान ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की। यह भी कहना गलत है कि तुल्ला द्वारा लिखाये गये मुकदमें के बचाव में उसकी तरफ से झूठा मुकदमा लिखा दिया। यह भी कहना गलत है कि वह झूठी गवाही दे रही है।

यह साक्षी वादिनी मुकदमा और मजरूब साक्षी है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में

साक्ष्य दिया है कि तुल्ला उर्फ जहीर, मोहर्रम अली, सकीना व आयसा चारों लोग अपनी दीवाल तोड़कर दरवाजा लगा कर उसके जमीन में निकास कायम कर रहे थे। उसने मना किया सभी लोग एक राय होकर उसे गाली देने लगे जान से मारने की धमकी दिये। सकीना ने उसका बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया तब चारों लोग मिलकर उसे मारने लगे। विपक्षीगण के मारने से उसके चार माह का गर्भ गिर गया। पेट में दर्द शुरू हुआ खून जारी हो गया। मौके पर लौहर, छेदी, साकरून पहुॅच गये और उसे उठाया। अभियुक्तगण अभी भी कह रहे है कि जमीन कब्जा कर लेंगे। इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि तुल्ला व उनकी मॉ हाथ में टेंगारा लिये थी। जिस जगह दीवाल फोड़े थे उसी में दरवाजा लगाये थे जो आज भी खड़ा है। उसने जब रोका सबसे पहले सकीना ने उसका बाल पकड़कर पटक दिया। खडंजे पर ही पटक दिया था, खडंजा उसके दरवाजे के सामने है। पटकने के बाद चारों लोग उसे मारने लगे। उसे लात मूका से मारा था टेंगारी व बेलचे से नहीं मारा था। जमीन पर गिरने के बाद उसके पेट पर चढ़कर सकीना ने जोर से ठोकर मारा। जब सकीना उसके पेट पर ठोकर मारी उसके चार माह का गर्भ था। उसके गुप्तांग से खून जारी हो गया पेट दर्द होने लगा। वह बेहोश हो गयी थी।

इस साक्षी के बयान व जिरह का अवलोकन एवं विस्तृत विश्लेषण निर्णय में आगे यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

13क– अभियोजन की ओर से अपने केस के समर्थन में, **पी.डब्लू. 2** के रूप में साक्षी **छेदी** पुत्र गुल्ले निवासी ग्राम गोबार थाना भिनगा जनपद श्रावस्ती को परीक्षित कराया गया है जिसने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि घटना को एक साल दो माह पांच दिन हो रहे हैं। घटना वाले दिन सुबह सात बजे तुल्ला उर्फ जहीर, मोहर्रम अली, सकीना आयशा अपने घर की दीवाल तोड़कर दरवाजा लगा रहे थे। इस दरवाजे का निकास ताहिरा की जमीन में था। ताहिरा ने मना किया तो चारों लोग ताहिरा को मारने पीटने लगे। सकीना ने ताहिरा का बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया तब चारों लोग ताहिरा को मारने पीटने लगे। सभी लोगों ने ताहिरा को गाली गुप्ता दिया था तथा जान से मारने की धमकी भी दिया था। चारों लोगों ने ताहिरा के पेडू पर मारा था। इसी मार से ताहिरा के पेट में दर्द शुरू हुआ और उसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए खतरा हो गया। ताहिरा चली और अस्पताल गयी भर्ती हो गयी। ताहिरा के पति नीबर ताहिरा को को उठाकर लाये और अस्पताल में भर्ती कराये। यह घटना उसने अपनी ऑखों से देखी है। वही बता रहा है।

13 ख– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रति परीक्षा** किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि इस घटना से पहले तुल्ला व नीबर का सम्बन्ध ठीक था। घटना के बाद खराब हो गया। उसका मकान व तुल्ला का मकान आपस में मिला जुला है।

हल्ला गोहार की आवाज सुनकर वह मौके पर पहुॅचा। जब वह मौके पर पहुॅचा तो देखा कि ताहिरा को सकीना तुल्ला मोहर अली आयशा को मार रहे थे। जब वह पहुॅचा मौके पर मारपीट हो रही थी। जब वह मौके पर पहुॅचा मारपीट शुरू हो गयी थी। उसने ताहिरा की जमीन में मुल्जिमान को दरवाजा लगाते हुये देखा। ये मारपीट ताहिरा के मकान के बाहर जमीन में हुई थी। विवादित जमीन उसकी जानकारी में ताहिरा की है। उसे इस बात की जानकारी है कि विवादित जमीन के बारे में दोनों पक्षों में दीवानी मुकदमा चल रहा है। उस मुकदमें में अदालत द्वारा स्थगन का आदेश पारित है। इसी जमीन के बावत् दोनों पक्षों में इस घटना के बाद से रंजिश रहा करती है। इस घटना के एक दिन पूर्व विवादित जमीन पर किसी ने थूनी या खूंटा नहीं गाड़ा था। इस घटना के सम्बन्ध में तुल्ला ने भी नीबर के ऊपर मुकदमा लिखाया था। घटना के बाद जब दोनों लोग थाने गये होंगे वह साथ में नहीं गया था। वह नहीं बता सकता कि घटना के बाद घटनास्थल पर कितने दिन बाद पुलिस आयी थी। इस घटना के सम्बन्ध में पुलिस गांव पर गयी थी कितने दिन बाद गयी थी उसे जानकारी नहीं है। दरोगा जी जब गये थे उसकी मुलाकात हुई उसे घटनास्थल पर दरोगा जी बुलाये थे। जब वह दरोगा जी से मिला वही पर दोनों पक्ष भी मौजूद थे। उसके सामने ताहिरा का बयान नहीं हुआ था। जब उसका बयान दरोगा साहब ने लिया था। दोनों पक्ष थे लेकिन ताहिरा वहॉ नहीं थी। वह नहीं जानता कि उसके बाद किसका बयान लिया था। गुल्ले उसके पिता हैं। जिनके सगे बड़े भाई दौलत थे। दौलत के तीन लड़के बहादुर बुधई तथा चांदे उर्फ चांद अली है। बहादुर के लड़के मोहर्रम अली इस मुकदमें में मुल्जिम है। चांद अली की बीबी सकीना इस मुकदमें में मुल्जिम है। चांद अली का लड़का मुल्जिम तुल्ला उर्फ जहीर है। तुल्ला की बीबी मुल्जिम आयशा है। इस घटना से पहले उसके सगे भाई शौकत की हत्या हो गयी थी। जिसकी एफ0 आई0 आर0 शौकत के बेटे इब्राहीम ने लिखाई थी। उसमें बहादुर, बहादुर अली के बेटे मोहर्रम अली, बहादुर के भाई बुधई व चांदे और इस्लाम वगैरा मुल्जिम थे। उसने शौकत के मुकदमें की कोई पैरवी नहीं की थी उनके बेटे इब्राहीम ने की थी। उसके गॉव के भीतर आबादी में उत्तर दक्षिण एक रास्ता गया है। इसी रास्ते के पश्चिम एक खडंजा रास्ता निकला है। खडंजा के उत्तर उसके पुरखों की जमीन थी जो आज भी पड़ी है। जिस जमीन में उसका व तुल्ला मुल्जिम का घर बना है यह उसके पूर्वजों की जमीन है। यह जमीन जो गांव में उत्तर दक्षिण रास्ता गया है उससे मिली पश्चिम है यह जमीन उत्तर दक्षिण रास्ते से पश्चिम जो खडंजा गया है इस खडंजे के उत्तर मिली हुई है। पूर्वजों की जमीन में बंटवारे में जो जमीन उन लोगों को मिली थी सब में उसका व मुल्जिमान का घर बना है कोई खाली जमीन नहीं पड़ी है। यह जमीन सौ दो सौ बीघे है या दस पांच विस्वा है उसे नहीं मालूम। उसे इस जमीन में सौ दो सौ बीघा या दस पांच

विस्वा मिला है उसे नहीं मालूम। इस जमीन का नम्बर भी वह नहीं बता सकता है। तीनों भाई बहादुर बुधई व चांदे को बराबर–बराबर हिस्सा मिला है, इस जमीन में उत्तर की तरफ 1/2 बंटवारे में उसे तथा दक्षिण 1/2 में उपरोक्त तीनों का हिस्सा है। नीबर उसके परिवार के नहीं हैं। इस घटना से पहले से खडंजे से दक्षिण मिला हुआ वादिनी ताहिरा के पति नीबर का घर बना हुआ है। नीबर ने यह घर आबादी में बना रखा है। जिस पुरखों की जमीन में उसका व मुल्जिमान का घर बना है उसमें नीबर का कोई हिस्सा नहीं था। इस घटना से पहले नीबर व मुल्जिमान में कोई विवाद नहीं था। इस घटना से पहले से ही बहादुर, बुधई व चांदे आपस में बंटवारा किये थे। इसमें चांदे का हिस्सा पश्चिम, बीच में बहादुर फिर बहादुर के पूरब बुधई को हिस्सा मिला था। तुल्ला उर्फ जहीर के पिता की मौत इस घटना से पहले हो गयी थी। अपने पिता की मौत के समय तुल्ला की उम्र 18–20 वर्ष रही होगी। इसमें तुल्ला को कितना हिस्सा बंटवारे में मिला था नहीं बता सकता। जितना हिस्सा तुल्ला को मिला था उसमें वह पूरे में घर बनाकर रहते हैं। घटना के समय तुल्ला के घर का निकास पूरब था और आज भी है। इस पूरब निकास के अलावा तुल्ला के मकान में आज भी कोई निकास नहीं है। इस समय तुल्ला ने अपने मकान में खडंजे की तरफ दक्षिण दिशा में निकास फोड़ा है। दरवाजा अभी नहीं लगाया है दीवाल फोड़ा है। खडंजे व जहॉ दीवाल फोड़ा है उसके बीच ताहिरा की जमीन है। ताहिरा की यह जमीन एक विस्वा से कम है। ताहिरा की यह जमीन एक विश्वा से कम है। ताहिरा आज बीमारी की वजह से न्यायालय पर नहीं आयी है। घटना के समय वह घर पर था। शोरगुल की आवाज सुनकर वह मौके पर पहॅुचा। चारों मुल्जिमान को दीवाल तोड़ते उसने नहीं देखा, वह जब पहॅुचा दीवाल टूटी पड़ी थी। आज तक वह दीवाल वैसे टूटी पड़ी है, उसमें कोई दरवाजा नहीं लगा है। इसी घटना में तुल्ला ने खुद व खुद की पत्नी के मारे जाने के बावत् उसके, जाफर, रोज अली व नीबर के विरूद्ध मुकदमा लिखाया था जिसमें वे सब जमानत कराये हैं। उसके सामने इस घटना में तुल्ला व तुल्ला की बीबी को किसी ने मारा पीटा नहीं था। इस मारपीट के दौरान तुल्ला व सकीना अपने हाथ में टेंगारा लिये थे। इन दोनों ने टेंगारा से किसी को मारा नहीं था। उसके सामने ताहिरा का बाल पकड़कर सकीना ने जमीन पर पटक दिया फिर चारों लोगों ने ताहिरा को मारा। चारों लोगों ने लात मूका से ताहिरा के पेडू व पेट में मारा था। कितनी देर तक चारों ने ताहिरा को मारा वह नहीं बता सकता, अंदाज से भी नहीं बता सकता है। आयशा व सकीना (मुल्जिमान) में से आयशा गर्भवती थी। दरोगा जी ने उसका बयान लिया था। दरोगा साहब को चारों लोगों द्वारा ताहिरा को मारने की बात उसने बतायी थी। यदि उसके बयान में आयशा व सकीना द्वारा ही मारने की बात लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता वो कुछ न लिखते तो उसे क्या मालूम। उसके सामने चारों ने ताहिरा

के पेडू पर दो–दो चार–चार लात मारे। ताहिरा गिर गयी थी बेहोश हो गयी थी। वह इसी वक्त वहाॅ से चला आया था उसे नहीं पता कि उसे कौन उठाकर ले गया। घटना वाले दिन ताहिरा अस्पताल में गयी फिर छः सात दिन बाद अस्पताल से घर आयी। उसने मौके पर कोई खून नहीं देखा, ताहिरा को मारते देखा था। ताहिरा के बदन से कपड़े हटाकर उसने चोट नहीं देखा। ताहिरा के साथ वह अदालत पर मुकदमा लिखाने नहीं आया। उसने अपना बयानहल्फी दिया था। घटना के कितने दिन बाद बयान हल्फी दिया था याद नहीं है। ताहिरा के पति नीबर के कहने पर वह बयान हल्फी देने आया था। उस बयानहल्फी में उसने बताया कि चारों मुल्जिमान ने उसके सामने ताहिरा को लात मूका से मारा था। उसने दो लोगों द्वारा टेंगारा लेने की बात बयानहल्फी में बतायी थी या नहीं, नहीं याद है। बयानहल्फी देने में अकेले आया था, नीबर उसे भिनगा तहसील में वकील की तख्त पर मिले थे। नीबर ने उसकी फोटो खिंचाई थी, एक लिखा पढ़ा कागज पर उसका दस्तखत कराया था। उसने उस जगह ताहिरा को नहीं देखा था। बयानहल्फी में उसने मारने पीटने की बात लिखाई थी। नीबर उसके पट्टीदारी के नाते भाई लगते हैं। घटना के कई महीने बाद दरोगा जी जांच करने आये थे। ताहिरा की जिस जमीन की तरफ मुल्जिम दरवाजा फोड़ रहा था उस जमीन का नम्बर उसे नहीं मालूम। ताहिरा की वहाॅ कोई खेती की जमीन नहीं है। आबादी की जमीन है। यह कहना गलत है कि ताहिरा के मारे जाने की कोई घटना उसने नहीं देखी है। यह भी कहना गलत है कि घटना वाले दिन उन लोगों ने तुल्ला व उसकी पत्नी के साथ मारपीट की। यह भी कहना गलत है कि इसी मुकदमे के रंजिश में वह झूठी गवाही दे रहा है।

अभियोजन की ओर से इस साक्षी को घटना की चश्मदीद साक्षी बताया है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि घटना को एक साल दो माह पांच दिन हो रहे हैं। घटना वाले दिन सुबह सात बजे तुल्ला उर्फ जहीर, मोहर्रम अली, सकीना आयशा अपने घर की दीवाल तोड़कर दरवाजा लगा रहे थे। इस दरवाजे का निकास ताहिरा की जमीन में था। ताहिरा ने मना किया तो चारों लोग ताहिरा को मारने पीटने लगे। सकीना ने ताहिरा का बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया तब चारों लोग ताहिरा को मारने पीटने लगे। सभी लोगों ने ताहिरा को गाली गुप्ता दिया था तथा जान से मारने की धमकी भी दिया था। चारों लोगों ने ताहिरा के पेडू पर मारा था। इसी मार से ताहिरा के पेट में दर्द शुरू हुआ और उसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए खतरा हो गया। ताहिरा चली और अस्पताल गयी भर्ती हो गयी। ताहिरा के पति नीबर ताहिरा को को उठाकर लाये और अस्पताल में भर्ती कराये। इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि जब वह मौके पर पहुॅचा तो देखा कि ताहिरा को सकीना तुल्ला मोहर अली आयशा को मार रहे थे। जब वह पहुॅचा मौके पर मारपीट हो रही थी। जब

वह मौके पर पहुॅचा मारपीट शुरू हो गयी थी। उसने ताहिरा की जमीन में मुल्जिमान को दरवाजा लगाते हुये देखा। ये मारपीट ताहिरा के मकान के बाहर जमीन में हुई थी।

इस साक्षी के बयान व जिरह का अवलोकन एवं विस्तृत विश्लेषण निर्णय में आगे यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

14क– अभियोजन की ओर से अपने केस के समर्थन में, **पी.डब्लू.4** के रूप में साक्षी **शाकरून** पत्नी लौहर उर्फ वारिस उम्र 58 वर्ष सा0 गोबार, दा0 वर्गीवर्गा, थाना को0 भिनगा, जनपद श्रावस्ती को परीक्षित कराया गया है जिसने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कहा है कि घटना आज से लगभग सात साल पहले की है। दीवार में दरवाजा लगाने की बात को लेकर ताहिरा से तथा तुल्ला उर्फ जहीर, मोहर्रम अली, शकीना व आयशा से झगड़ा हो रहा था तो ताहिरा ने दरवाजा फोड़ने से मना किया तो विपक्षीगण मॉ बहन की भद्दी–भद्दी गाली व जान माल की धमकी देते हुए ताहिरा का बाल पकड़कर उसके पेट पर मारने लगे। वह भी मौके पर घटना देख रही थी ताहिरा के पेट में चार माह का बच्चा था। ताहिरा के पेट में चोट लगने के कारण उसके पेट में दर्द शुरू हो गया और खून भी गिरने लगा। घटना उसने अपनी ऑखों से देखी है व घटना के सम्बन्ध में दरोगा जी ने उसका बयान लिया था।

14ख– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रति परीक्षा** किये जाने पर इस साक्षी ने इस आशय का कथन किया है कि ताहिरा ने उसे घटना के बारे में नहीं बताया था। उसका मकान ताहिरा के मकान के पश्चिम दस कसी की दूरी पर है। ताहिरा के मकान के पश्चिम एक खाली रास्ता है। ताहिरा के साथ मुकदमा लिखाने वह कचेहरी नहीं आयी थी और न ही ताहिरा के साथ वह थाने गयी। तुल्ला की तरफ से भी एक मुकदमा लिखाया गया था। ताहिरा के मकान के पूरब जाफर का मकान है ताहिरा व जाफर के मकान के बीच एक गली है जो पतली है। ताहिरा के मकान के उत्तर तुल्ला का मकान है बीच में खडंजा है फिर जगह पड़ी है। हल्ला गुहार सुनने पर वह आयी, घटना के समय वह अपने घर पर थी। वह हल्ला पर जब मौके पर पहुॅची तो देखा ताहिरा को सकीना खडंजे पर पटक दिया था और चार मिला उसे मार रहे थे। चूॅकि ताहिरा मौके पर अकेली थी इसलिए वह खुद को बचा नहीं पाई। मौके पर ताहिरा को बचाने सबसे पहले वह पहुॅची। उसके पहुॅचने के बाद भी मुल्जिमान मौके से भागे नहीं थे। उसके सामने करीब आधा घंटा तक मुल्जिमान ने ताहिरा को मारा पीटा। मौके पर कोई पुलिस वाले नहीं आए थे। मुकदमा लिखाने के लिए ताहिरा ने काफी पैरवी की तब जाकर मुकदमा लिखा गया। मुल्जिमान ने लात मूका थप्पड़ से मारा था हाथ में टेंगारा लिए थे उससे मारा नहीं। टेंगारा दुबारा (मुहारा) खोदने को लिए थे। ताहिरा का बाल सिर्फ सकीना ने पकड़कर पटक दिया। ताहिरा का बाल सकीना के अलावा और

किसी ने नहीं पकड़ा था।

प्रश्न :–आपने अपने बयान अन्तर्गत 161 सीआर0पी0सी0 में बताया है कि आयशा व सकीना दोनों ताहिरा का बाल पकड़े थे व आज दिए गये बयान में कहा है कि केवल सकीना ताहिरा का बाल पकड़े थी दोनों बातों में कौन सी बात सही है?

उत्तर–जो वह आज बयान कर रही है वह सही है। दरोगा जी द्वारा उसके बयान में लिखी उक्त बात सही नहीं है।

जब वह मौके पर पहुॅची तो उसने दोनों पक्षों में बीच बराव का प्रयास किया। बीच बराव कराने में उसे कोई चोट चपेट नहीं आयी थी। उसके देखने में ताहिरा के कपड़े पर खून लगा था। ताहिरा का पूरा कपड़ा खून से भीग गया था। उसने खुद ताहिरा का खून लगा कपड़ा बदलवाया था और साफ कपड़े पहनाए थे। उसके पति व ताहिरा के पति पट्टीदारी के भाई हैं। जब वह मौके पर पहुॅची तब ताहिरा व सकीना एक दूसरे को लिपटी मार रही थी। सकीना ताहिरा का बाल पकड़े थी। मौके पर वह जब पहुॅची उस समय और कोई नहीं पहुॅचा पीछे से उसके पति वारिस अली, छेदी पहुॅचे उसके बाद और लोग भी आये।

ताहिरा के छः लड़के व दो बेटियॉ हैं। घटना के समय ताहिरा का सबसे छोटा बच्चा तीन साल का था। ताहिरा के सभी बच्चों में डेढ़–दो साल का अंतर है। इस समय वह नहीं बता पायेगी कि ताहिरा व वह सबसे छोटा बच्चा कितने साल का होगा वह जोड़ नहीं पायेगी क्योंकि वह पढ़ी लिखी नहीं है। लड़ाई झगड़ा से कितने साल पहले ताहिरा की शादी नीबर से हुई थी वह नहीं बता पायेगी। दरोगा जी ने घटना के सम्बन्ध में उसका बयान लिया था। साक्षी को उसका बयान 161 सीआर0पी0सी0 पढ़कर सुनाया गया कि ″सकीना व आयशा................दर्द शुरू हो गया था। ″ और पूछा गया कि आपके बयान में 161 सीआर0पी0सी0 में सकीना व आयशा द्वारा ही केवल ताहिरा के पेट पर मारने की बात कही गयी है जबकि न्यायालय पर दिए बयान में सभी अभियुक्तों द्वारा ताहिरा के पेट पर मारने की बात कही है। दोनों में क्या सही है तो साक्षी ने कहा कि न्यायालय पर उसने जो बयान दिया है कि सभी अभियुक्तों ने ताहिरा के पेट पर मारा यह बात सही है। दरोगा जी ने केवल दो लोगों द्वारा पेट पर मारने की बात जो लिखी है उसकी वजह वह नहीं बता सकती। कैसे लिखा। ताहिरा का इलाज जहॉ–जहॉ हुआ वह साथ नहीं गयी थी केवल भिनगा अस्पताल तक साथ गयी थी। ताहिरा मौके पर बेहोश हो गयी थी। ताहिरा को जब भिनगा अस्पताल इलाज को लाए थे तब तक ताहिरा को होश आ गया था। ताहिरा को प्लेन से ले गये थे फिर कहा गाड़ी से ले गये। मोटरसाइकिल से ले गये थे। वह मोटरसाइकिल सिराजुद्दीन चला रहा था। यह कहना गलत है कि उसने अपनी ऑखों से कोई घटना नहीं देखी।

इस साक्षी को अभियोजन पक्ष की ओर से घटना का चश्मदीद साक्षी बताया

गया है जिसने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि विपक्षीगण मॉ बहन की भद्दी–भद्दी गाली व जान माल की धमकी देते हुए ताहिरा का बाल पकड़कर उसके पेट पर मारने लगे। वह भी मौके पर घटना देख रही थी ताहिरा के पेट में चार माह का बच्चा था। ताहिरा के पेट में चोट लगने के कारण उसके पेट में दर्द शुरू हो गया और खून भी गिरने लगा। इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि ताहिरा ने उसे घटना के बारे में नहीं बताया था। वह हल्ला पर जब मौके पर पहुॅची तो देखा ताहिरा को सकीना खडंजे पर पटक दिया था और चार मिला उसे मार रहे थे। चूॅकि ताहिरा मौके पर अकेली थी इसलिए वह खुद को बचा नहीं पाई। मौके पर ताहिरा को बचाने सबसे पहले वह पहुॅची। उसके पहुॅचने के बाद भी मुल्जिमान मौके से भागे नहीं थे। उसके सामने करीब आधा घंटा तक मुल्जिमान ने ताहिरा को मारा पीटा।

इस साक्षी को अभियोजन पक्ष की तरफ से घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बताया गया है। इसने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि घटना आज से लगभग सात साल पहले की है। दीवार में दरवाजा लगाने की बात को लेकर ताहिरा से तथा तुल्ला उर्फ जहीर, मोहर्रम अली, शकीना व आयशा से झगड़ा हो रहा था तो ताहिरा ने दरवाजा फोड़ने से मना किया तो विपक्षीगण मॉ बहन की भद्दी–भद्दी गाली व जान माल की धमकी देते हुए ताहिरा का बाल पकड़कर उसके पेट पर मारने लगे। वह भी मौके पर घटना देख रही थी ताहिरा के पेट में चार माह का बच्चा था। ताहिरा के पेट में चोट लगने के कारण उसके पेट में दर्द शुरू हो गया और खून भी गिरने लगा। इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में साक्ष्य दिया है किताहिरा ने उसे घटना के बारे में नहीं बताया था। वह हल्ला पर जब मौके पर पहुॅची तो देखा ताहिरा को सकीना खडंजे पर पटक दिया था और चार मिला उसे मार रहे थे। चूॅकि ताहिरा मौके पर अकेली थी इसलिए वह खुद को बचा नहीं पाई। मौके पर ताहिरा को बचाने सबसे पहले वह पहुॅची। उसके पहुॅचने के बाद भी मुल्जिमान मौके से भागे नहीं थे।

इस साक्षी के बयान व जिरह का अवलोकन एवं विस्तृत विश्लेषण निर्णय में आगे यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

15 क– अभियोजन की ओर से अपने केस के समर्थन में, **पी.डब्लू.5** के रूप में साक्षी **वारिस अली** पुत्र दलसिंगार निवासी ग्राम गोबार, दा0 वर्गावर्गी, थाना भिनगा, जनपद श्रावस्ती को परीक्षित कराया गया है जिसने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कहा है कि "घटना दिनांक 01.10.2015 की सुबह लगभग सात बजे की है। सकीना, आइसा व तुल्ला उर्फ जहीर तथा मोहर्रम अली जो मेरे गांव के ही निवासी हैं ताहिरा की जमीन पर दरवाजा लगवा रहे थे ताहिरा के जमीन पर अपना निकास निकालना चाहते थे जब ताहिरा ने मुल्जिमानो के अपनी जमीन में दरवाजा लगाकर निकास बनाने से मना किया तो यह लोग ताहिरा को भद्दी भद्दी गाली दिया और बाल पकड़कर जमीन पर पटक

दिया उसके बाद डण्डा, लात घूसा थप्पड से मारने पीटने लगे तथा जान से मारने की धमकी देने लगे उसकी बाद ताहिरा के चिज्वाने पर में तथा गांव के ही छेदी मौके पर पहुंचे और ताहिरा की जान बचायी तब उपरोक्त मुल्जिमान ताहिरा को जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये। मुल्जिमानों के मारने पीटने से ताहिरा के पेट में काफी चोटें आयी थी ताहिरा के पेट में चार महीने का गर्भ था जो पेट में नष्ट हो गया था जिससे मौके पर काफी खून बहा था। ताहिरा के परिवार वाले घर पर नहीं थे बाद में जब आये है तब इलाज कराने ले गये थे। ताहिरा का जिला अस्पताल में इलाज कराया था। घटना के बाद पुलिस वाले गांव में जांच करने आये थे तथा हम सभी का बयान लिया था।"

15 ख– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रति परीक्षा** किये जाने पर इस साक्षी ने इस आशय का कथन किया है कि "मैं तीन भाई हूं जिसमें सबसे बड़े राजअली उसके बाद वारिस अली तथा सबसे छोटे निब्बर उर्फ मुंसरिफ है। छेदी मेरी पट्टीदारी के भाई लगते हैं। छेदी का घर गांव के बाहर उत्तर तरफ बना है। ताहिरा का घर गांव के अन्दर है। ताहिरा मेरे छोटे भाई की पत्नी है। घटना के बारे में ताहिरा से मुझे औरतों के माध्यम से जानकारी पहुंचाई थी। चूंकि मेरा व ताहिरा का पर्दा रहता है इसलिये उसने सीधे मुझसे नहीं बताया था, अपनी जेठानी अर्थात् मेरी पत्नी से बताया था और मेरी पत्नी ने मुझे बताया था। उसके बाद मैं थाने पर मुकदमा लिखाने गया था। उस वक्त ताहिरा के घर और कोई नहीं था। घटना के समय ताहिरा अकेले थी बाद में लोग आ गये थे। घटना के दिन मैं घर पर था। तुल्ला के घर के उत्तर में छेदी का घर है, दक्षिण में मेरा घर है, पूरब की तरफ उनके भाई का घर और उनके पूत्र में रास्ता है. तुल्ला के घर के पश्चिम मेरे चाचा लाल मोहम्मद का घर है। ताहिरा का मुकदमा सीधे को० भिनगा में लिखा गया था कि नहीं मुझे नहीं मालूम है। ताहिरा का मुकदमा कैसे लिखा गया इसके सम्बन्ध में मुझे जानकारी नहीं है। मेरा व ताहिरा का जेठ व भइउ की वजह से पर्दा रहता है।

तुल्ला द्वारा नीबर, रोज अली, जाफर, छेदी के ऊपर मुकदमा लिखवाया गया था। तुल्ला के देखा देखी ताहिरा ने मुकदमा नहीं लिखवाया था। घटना के समय ताहिरा के पति मौके पर मौजूद नहीं थे। गांव का भी कोई आदमी मौजूद नहीं था। यह कहना गलत है कि परिवार का आदमी होने के कारण वह झूठी गवाही दे रहा है।

इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि घटना दिनांक 01.10.2015 की सुबह लगभग सात बजे की है। सकीना, आइसा व तुल्ला उर्फ जहीर तथा मोहर्रम अली जो मेरे गांव के ही निवासी हैं ताहिरा की जमीन पर दरवाजा लगवा रहे थे ताहिरा के जमीन पर अपना निकास निकालना चाहते थे जब ताहिरा ने मुल्जिमानो के अपनी जमीन में दरवाजा लगाकर निकास बनाने से मना किया तो यह लोग ताहिरा को

भद्दी भद्दी गाली दिया और बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया उसके बाद डण्डा, लात घूसा थप्पड से मारने पीटने लगे तथा जान से मारने की धमकी देने लगे उसकी बाद ताहिरा के चिज्वाने पर में तथा गांव के ही छेदी मौके पर पहुंचे और ताहिरा की जान बचायी तब उपरोक्त मुल्जिमान ताहिरा को जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये। इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि घटना के समय ताहिरा अकेले थी बाद में लोग आ गये थे। घटना के दिन मैं घर पर था। घटना के समय ताहिरा के पति मौके पर मौजूद नहीं थे।

इस साक्षी के बयान व जिरह का अवलोकन एवं विस्तृत विश्लेषण निर्णय में आगे यथोचित स्थान पर किया जायेगा।

16क– अभियोजन की ओर से अपने केस के समर्थन में, **पी.डब्लू.3** के रूप में साक्षी **डा0 मोहम्मद निस्बाहुज्जमां खान** को परीक्षित कराया गया है जिन्होंने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कहा है कि दिनांक 03.10.2015 को वह रेडियोलाजिस्ट के पद पर संयुक्त जिला चिकित्सालय जनपद श्रावस्ती में कार्यरत् था। उस दिन समय लगभग 4.04 मिनट शाम को होमगार्ड कौशल किशोर ओझा द्वारा चोटहिल ताहिरा उम्र 36 वर्ष पत्नी नीबर उर्फ मुंसरिफ निवासी गोबार थाना भिनगा को उसके सामने अल्ट्रासाउंड के लिए लोअर अब्डामेन का लाया गया था जिसका उसके द्वारा परीक्षण करके लोअर अब्डामेन का अल्ट्रासाउंड करके उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की गयी जिसमें निम्न चीजें पायी गयीः–

1–यूट्रस बढ़ा हुआ था जिसका आकार 11.29 X 6.00 X 5.56 सेमी0 antiverted

2–मायोमेट्रियम मांसल तथा बढ़ा हुआ।

3–एण्डोमेट्रियम 30.00 मिली मी0 मोटा तथा उसकी गुहा के भीतर 5.00 X 3.16 X 3.61 सेमी0 के मिश्रित सहानता के तत्व पाए गए।

4–सर्विसक्स मांसल बढ़ा हुआ।

5–अण्डाशय सामान्य

6–पाउच ऑफ डगलस में किसी प्रकार का कोई तत्व नहीं था।

उसकी राय में बच्चेदानी का साइज बढ़ा था तथा उसके अन्दर एण्डोमेट्रियम गुहा में जैविक तत्व थे। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर यह प्रतीत होता है कि मरीज का गर्भाशय abnormal था। पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड उसके लेख व हस्ताक्षर में है प्रमाणित करता है जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया।

16ख– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रति परीक्षा** किये जाने पर इस साक्षी ने इस आशय का कथन किया है कि रिपोर्ट तैयार करते समय वह रेडियोलाजिस्ट के पद पर तैनात था। अल्ट्रासाउंड करते समय उसे कोई जीवित भ्रूण नहीं मिला था और मृत के बारे में वह कोई राय नहीं दे सकता।

इस साक्षी द्वारा चोटहिल ताहिरा का अल्ट्रासाउंड किया गया था। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि मरीज का गर्भाशय abnormal था। इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में कहा है कि रिपोर्ट तैयार करते समय वह रेडियोलाजिस्ट के पद पर तैनात था। अल्ट्रासाउंड करते समय उसे कोई जीवित भ्रूण नहीं मिला था और मृत के बारे में वह कोई राय नहीं दे सकता।

17 क– अभियोजन की ओर से अपने केस के समर्थन में, **पी.डब्लू.7** के रूप में साक्षी **डा0 दीप शिखा मिश्रा** को परीक्षित कराया गया है जिसने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कहा है कि " दिनांक 03.10.2015 को मैं संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा में आकस्मिक चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात थी। उस दिन मैंने पीड़िता ताहिरा पत्नी निब्बर निवासी गोबार दा० चहलवा थाना को० भिनगा जनपद श्रावस्ती को संयुक्त जिला चिकित्सालय में भर्ती किया था। जिसे मेरे समक्ष कृष्ण कुमार ओझा द्वारा मेडिकल परीक्षण हेतु लाया गया था। परीक्षण के दौरान पीडिता द्वारा मुझे बताया गया कि उसको तीन माह का गर्भ था, व पेट पर चोट लगने के कारण 03 दिन से per vaginal bleeding हो रही थी। पीड़िता का परीक्षण करने पर उसका Abdomen soft पाया गया व Per vaginal examination में Carvical OS open था व retained products of conception vagina में उपस्थित थे। मेरे द्वारा पीडिता को USG Pelvis के लिये Radiologist के पास भेजा गया। जिनके द्वारा Bulky Uterus with 5X3.16X3.61 C.m का mixed echogenic collection बताया गया। मेरे द्वारा पीड़िता का retained product का evacutaion में जरूरी इलाज किया गया व दिनांक 08.10.2015 को 2.00 pm पर डिस्चार्ज किया गया। पीड़िता के clinical examination व radiological examination के अनुसार incomplete obortion पाया गया। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या A7/3 पूरक रिपोर्ट व कागज संख्या A7/4 डिस्चार्ज स्लिप को देखकर कहा कि ये दोनों प्रपत्र मेरे द्वारा तैयार किये गये हैं जिन पर मेरे हस्ताक्षर बने हैं, जिन्हें मैं प्रमाणित करती हूँ, जिन पर क्रमशः **प्रदर्श क–5, प्रदर्श क–6** डाला गया है।

17 ख. बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रति परीक्षा में साक्षी ने कहा है कि "पीड़िता का परीक्षण करते समय मेरे पास उसके पहले से 03 माह के गर्भवती होने की कोई रिपोर्ट नहीं थी। 03 माह के गर्भ में abdomen soft होने की संभावना रहती है। परीक्षण के दौरान पीड़िता के पेट में चोट का कोई निशान नहीं था। मैंने जो यह बात बतायी है कि पेट पर चोट लगने के कारण 03 दिन से Vaginal Bleeding हो रही थी यह पीड़िता के बताने के आधार पर कहीं है। गर्भपात अपने आप भी हो सकता है और

किसी सख्त जमीन या सतह पर गिरने से भी हो सकता है।"

इस साक्षी द्वारा पीड़िता की क्लीनिकल इक्जामिनेशन व रेडियोलाजिकल इक्जामिनेशन रिपोर्ट तैयार की गयी थी। इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि पीड़िता का परीक्षण करते समय मेरे पास उसके पहले से 03 माह के गर्भवती होने की कोई रिपोर्ट नहीं थी। 03 माह के गर्भ में abdomen soft होने की संभावना रहती है। परीक्षण के दौरान पीड़िता के पेट में चोट का कोई निशान नहीं था। उसने जो यह बात बतायी है कि पेट पर चोट लगने के कारण 03 दिन से Vaginal Bleeding हो रही थी यह पीड़िता के बताने के आधार पर कहीं है। गर्भपात अपने आप भी हो सकता है और किसी सख्त जमीन या सतह पर गिरने से भी हो सकता है।

इस प्रकार इस साक्षी ने स्पष्ट कथन किया है कि परीक्षण के दौरान पीड़िता के पेट में चोट का कोई निशान नही था। उसने जो यह बात बतायी है कि पेट पर चोट लगने के कारण 03 दिन से Vaginal Bleeding हो रही थी यह पीड़िता के बताने के आधार पर कहीं है।

18 क– अभियोजन की ओर से अपने केस के समर्थन में, **पी.डब्लू.09** के रूप में साक्षी **डा0 आर0 आर0 विश्वास** को परीक्षित कराया गया है जिसने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कहा है कि " दिनांक 03.10.2015 को मैं CHC भिनगा पर चिकित्साधिकारी के पद पर नियुक्त था। उस दिन मैंने चोटहिल ताहिरा उम्र 36 वर्ष, पत्नी निब्बर उर्फ मुंसरिफ निवासी गोबार वर्गीवर्गा थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती की चोटों का मेडिकल परीक्षण किया था, जिसे मेरे समक्ष होमगार्ड कृष्ण कुमार ओझा थाना को० भिनगा जनपद श्रावस्ती द्वारा लाया गया था। परीक्षण के दौरान चोटहिल के शरीर पर निम्न चोटें पायी गयीः–

1–Abrasion 1X1 cm सिर के बायीं तरफ

2– Complaint of pain पद lower abdomen साथ ही उसे ढाई महीने का गर्भ था जो मजरुबा द्वारा बताया गया था। साथ ही नीचे से पानी व खून आने की समस्या भी बतायी थी।

<u>अभिमत</u>–

इंजरी नं० 02 के लिये चोटहिल को जिला अस्पताल भिनगा गायनोलाजिस्ट व रेडियोलाजिस्ट के लिये सन्दर्भित किया गया था। इंजरी नं० 01 सामान्य प्रकृति की थी। चोट लगभग 02 दिन पुरानी थीं। चोट सख्त एवं कुन्द वस्तु द्वारा पहुंचायी गयी प्रतीत होती थी।

साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या A7/2 मेडिकल रिपोर्ट की देखकर कहा कि यह रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गयी है जिस पर मेरा हस्ताक्षर बना है. जिसे मैं

प्रमाणित करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क–9** अंकित किया गया।"

18 ख– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रति परीक्षा** किये जाने पर इस साक्षी ने इस आशय का कथन किया है कि" मजरूबा को आयी चोट गिरने से भी आ सकती है। मैंने मजरूबा की सिर्फ प्राथमिक चिकित्सा की थी। अन्य समस्या जो उसके द्वारा बतायी गयी थी उसके लिये उसे जिला अस्पताल भिनगा के लिये सन्दर्भित कर दिया गया था। मजरूबा के पूरे शरीर पर सिर्फ एक जाहिरा चोट बायीं आँख के भौं के 10 सेमी० ऊपर सिर पर थी। इसके अलावा अन्य कोई जाहिरा चोट मजरूबा को नहीं थी। इसके अलावा लोवर Abdomen में दर्द व खून व पानी आने की समस्या बतायी थी, जिसके लिये उसे जिला अस्पताल भिनगा सन्दर्भित किया गया था।"

इस साक्षी द्वारा मजरूबा ताहिरा का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया था। इंजरी नं० 02 के लिये चोटहिल को जिला अस्पताल भिनगा गायनोलाजिस्ट व रेडियोलाजिस्ट के लिये संदर्भित किया गया था। इंजरी नं० 01 सामान्य प्रकृति की थी। चोट लगभग 02 दिन पुरानी थी। चोट सख्त एवं कुन्द वस्तु द्वारा पहुंचायी गयी प्रतीत होती थी। इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में कहा है कि मजरूबा के पूरे शरीर पर सिर्फ एक जाहिरा चोट बायीं आँख के भौं के 10 सेमी० ऊपर सिर पर थी। इसके अलावा अन्य कोई जाहिरा चोट मजरूबा को नहीं थी। इसके अलावा लोवर Abdomen में दर्द व खून व पानी आने की समस्या बतायी थी।

19 क– अभियोजन की ओर से अपने केस के समर्थन में, **पी.डब्लू.6** के रूप में साक्षी **हे0 कां0 राकेश कुमार गौड़** को परीक्षित कराया गया है जिसने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कहा है कि " दिनांक 11.05.2016 को में थाना को० भिनगा में कांठ के पद पर तैनात था। उस दिन डाक पैड द्वारा प्राप्त प्रार्थनापत्र द्वारा सी. जे.एम. महोदय जनपद श्रावस्ती के आधार पर प्रभारी निरीक्षक के मौखिक निर्देश पर मैंने मु०अ०सं० 881/2016 अन्तर्गत धारा 323, 504, 506, 316 भा०दं०सं० विरुद्ध तुल्ला उर्फ जहीर, शकीना, श्रीमती आयशा, मोहर्रम अली कम्प्यूटर पर कम्प्यूटरीकृत किया था। जिसकी कायमी भी मैंने रपट नं0 15 समय 09:20 दिनांक 11.05.2016 को अंकित किया था। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या ए 4/1 व ए 4/2 मूल एफ०आई०आर० व कार्बन प्रति कायमी जी डी कागज संख्या ए 8/1 को देखकर साक्षी ने कहा कि यह प्रपत्र मेरे द्वारा तैयार किया गया है जिन्हें मैं प्रमाणित करता हूँ, जिन पर क्रमशः **प्रदर्श क–3** व **प्रदर्श क–4** डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।"

20 ख– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रति परीक्षा** किये जाने पर इस साक्षी ने इस आशय का कथन किया है कि यह मुकदमा 156 (3) प्रार्थनापत्र पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कम में पंजीकृत हुआ था। मुकदमा पंजीकृत होने की सूचना

उच्चाधिकारियों को दी गयी थी। एस0 एच0 ओ0 आदेशानुसार दी गयी थी।

यह औपचारिक साक्षी है। इस साक्षी के द्वारा मूल एफ0 आई0 आर0 व कार्बन प्रति जी0 डी0 को साबित किया गया है।

21 क– अभियोजन की ओर से अपने केस के समर्थन में, **पी.डब्लू.8** के रूप में साक्षी निरीक्षक विनोद कुमार को परीक्षित कराया गया है जिसने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कहा है कि " दिनांक 11.05.2016 को में थाना को० चिनगा जनपद श्रावस्ती में उप निरीक्षक के पद पर नियुक्त था। उस दिन मु० अ० सं० 881/2016 न्यायालय के आदेश जरिये 156(3) Cr.P.C पंजीकृत होकर एस०एच०ओ० महोदय अभियोग उपरोक्त की विवेचना मुझ उप निरीक्षक को प्रास हुई। विवेचना ग्रहण करके मैंने उसी दिन पर्चा नं०1 किता किया जिसमें अवलोकन नकल चिक, नकल रपट बयान लेखक एफ०आई०आर० कां०राकेश कुमार गौण बयान वादिनी श्रीमती ताहिरा अंकित किया तथा वादिनी के निशादेही पर फिर घटनास्थल का निरीक्षण कर मौके पर नक्शा नजरी तैयार कर सी०डी० में संलग्न किया। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज सं० ।61 नक्शा नजरी को देखकर कहा कि यह प्रपत्र मेरे द्वारा तैयार किया गया है। जिस पर मेरे हस्ताक्षर बने है, जिसे वह प्रमाणित करता है जिस पर **प्रदर्श क–7** अंकित किया गया। दिनांक 17.05.2016 को पर्चा नं० 2 किता किया। जिसमें चोटहिल वादिनी मुकदमा श्रीमती ताहिरा के पूरक मेडिक्ल रिपोर्ट का अवलोकन कर सी०डी० में अंकन किया तथा रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट में इंजरी रिपोर्ट का अंकन कर सी०डी० में अंकित किया। दिनांक 28.05.2016 को पर्चा नं० 3 किता किया। जिसमें बयान गवाह छेदी व शाकरून अंकित किया। तमामी विवेचना, बयान वादी, बयान गवाह, निरीक्षण घटना स्थल अवलोकन मेडिकल रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण तुल्ला उर्क जहीर पुत्र चाँद अली, मोहर्रम अली पुत्र बहादुर, शकीना पत्नी चाँद अली व आयशा पत्नी तुला उर्फ जहीर के विरुद्ध जुर्म धारा 323, 504, 506, 316 IPC का अपराध प्रमाणित पाते हुए अभियुक्तगण का चालान जरिये आरोपपत्र संख्या 131/2016 माननीय न्यायालय प्रेषित किया। साक्षी ने आरोप पत्र को देखकर कहा कि यह आरोपपत्र उसके द्वारा तैयार किया गया है। जिस पर मेरे हस्ताक्षर बने है जिसे मैं प्रमाणित करता हूं। जिस पर **प्रदर्श क–8** अंकित किया गया।"

21 ख– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रति परीक्षा** किये जाने पर इस साक्षी ने इस आशय का कथन किया है कि" मुकदमें की सम्पूर्ण विवेचना मेरे द्वारा की गयी है। उपरोक मुकदमा 156 (3) Cr.P.C में पारित आदेश के क्रम में लिखा गया था। थाना को० भिनगा पर न्यायालय के आदेश से पहले घटना के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र मेरी जानकारी में नहीं दिया गया था। उपरोक्त मुकदमा के क्रास केस की विवेचना मेरे द्वारा नहीं की गयी थी। चूंकि मुझे आदेश नहीं था इसलिए क्रास केस की विवेचना मैंने नहीं

की। मैंने मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन किया था तथा मैंने संबंचित चिकित्सक का बयान लिया था। यह सही है कि केस डायरी में किसी चिकित्सक के बधान का उल्लेख नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि मैंने किसी चिकित्सक का बयान नहीं लिया है यह सही है कि किसी चिकित्सीय रिपोर्ट के बारे में एक चिकित्सीय विशेषज्ञ ही राय दे सकता है। मैं इसकी कोई वजह बता नहीं सकता कि मैंने चिकित्सक का बयान क्यों नहीं लिया। उपरोक्त मुकदमे के क्रास केस से संबंधित एन०सी०आर० का उल्लेख मैंने उपरोक्त विवेचना में नहीं किया है चूंकि मुझे उक्त एम०सी०आर० मिला ही नहीं था। नक्शा नजरी मैंने वादी मुकदमा के बताने के अनुसार तैयार किया था। यह कहना सही है कि क्रास केस की विवेचना भी मेरे द्वारा की जानी चाहिए। यह कहना गलत है कि मैंने औपचारिकतावश बिल्कुल झूठी विवेचना के आधार पर आरोप पत्र प्रेषित कर दिया।"

यह एक औपचारिक साक्षी है तथा मामले का विवेचक है। इस साक्षी द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता को साबित किया गया है। साक्षी के द्वारा दिये गये बयान व जिरह से इतना अवश्य स्पष्ट है कि इसी घटना के सम्बन्ध में अभियुक्तगण द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था जिसकी विवेचना यद्यपि कि इस साक्षी पी0 डब्ल्यू0 8 विनोद कुमार द्वारा नहीं की गयी है परन्तु तथाकथित घटना के दिनांक 01.10.2015 को वादी मुकदमा एवं बचाव पक्ष के मध्य मारपीट एवं गाली गलौज होना साबित है।

वर्तमान प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0दं0सं0 की धारा 316, 323/34, 504 एवं 506 के अधीन आरोप विरचित किये गये हैं। अतः उक्त के सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षीगण मुख्यतः वादिनी मुकदमा ताहिरा एवं चिकित्सकगण के बयान व जिरह का सम्यक् अवलोकन एवं विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

इस प्रकार अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षी पी0 डब्ल्यू0 1 वादिनी मुकदमा श्रीमती ताहिरा/मजरूबा के बयान से यह साबित होता है कि उसे अभियुक्तगण तुल्ला उर्फ जहीर, मोहर्रम अली, सकीना व आयशा ने भद्दी–भद्दी गालियॉ देकर जान से मारने की धमकी दिया। वादिनी का कथन है कि मारपीट के दौरान आयी चोटों के कारण उसे पेट में दर्द शुरू हुआ और खून भी बहने लगा। साक्षी ने जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि जहॉ उसके पेट पर ठोकर मारा था वहॉ जमीन पर भी काफी खून गिरा था और उसके गुप्तांग से खून बहने लगा था तथा पेट दर्द होने लगा था और वह बेहोश हो गयी थी।

तथाकथित घटना दिनांक 01.10.2015 की बतायी जाती है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.10.2015 की कोई भी उपहति आख्या अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं की

गयी है। वादिनी की ओर से प्रथम उपहति आख्या दिनांक 03.10.2015 की है। अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने का भार सदैव अभियोजन पक्ष पर होता है जबकि वादिनी मुकदमा ताहिरा का कथन है कि मारपीट के दौरान आयी चोटों के कारण उसे पेट में दर्द शुरू हुआ और खून भी बहने लगा। साक्षी ने जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि जहॉ उसके पेट पर ठोकर मारा था वहॉ जमीन पर भी काफी खून गिरा था और उसके गुप्तांग से खून बहने लगा था तथा पेट दर्द होने लगा था और वह बेहोश हो गयी थी तब ऐसी स्थिति में वादिनी मुकदमा का अस्पताल न जाना और कोई भी दवा इलाज दिनांक 01.10.2015 को न कराना प्रथम दृष्ट्या इस तथ्य को संदिग्ध बनाता है कि तथाकथित गर्भपात दिनांक 01.10.2015 की घटना के कारण हुआ था।

अभियोजन साक्षी पी0 डब्ल्यू0 3 डा0 मो0 निस्बाहुज्जमा द्वारा न्यायालय में स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि अल्ट्रासाउण्ड करते समय उसे कोई जीवित भ्रूण नहीं मिला था और मृत के बारे में वह कोई राय नहीं दे सकता।

इसी प्रकार साक्षी पी0 डब्ल्यू0 7 डा0 दीप शिखा मिश्रा द्वारा जिरह में स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि पीड़िता का परीक्षण किये जाते समय उसके पास पीड़िता के तीन माह के गर्भवती होने की कोई रिपोर्ट नहीं थी। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि पीड़िता के पेट पर चोट के कोई निशान नहीं पाये गये और यह बात कि पेट पर चोट लगने के कारण तीन दिन से वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही थी यह बात पीड़िता के बताने के आधार पर बतायी है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी पी0 डब्ल्यू0 9 डा0 आर0 आर0 विश्वास के बयान व जिरह के अवलोकन से स्पष्ट है कि पीड़िता के शरीर पर चोट सं0 1 सिर के बांयी तरफ एक गुणे एक सेमी0 की Abrasion की पायी गयी है। उल्लेखनीय है कि उक्त चिकित्सकीय परीक्षण दिनांक 03.10.2015 को किया गया है न कि दिनांक 01.10.2015 को जिस दिन की घटना बतायी गयी है।

इस साक्षी ने ताहिरा को आयी चोटों को साबित किया है तथा ताहिरा को आयी चोटें सामान्य प्रकृति की बतायी गयी है। इस प्रकार अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाया गया भा0दं0सं0 की धारा 323/34 का आरोप प्रथम दृष्ट्या साबित नहीं है। चोट सं0 1 तथाकथित मारपीट की घटना के दौरान गिरने से अथवा नाखून से भी आना सम्भव है जो कि सामान्य उपहति अथवा गम्भीर उपहति की श्रेणी में नहीं आती है।

अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्ल्यू0 2 छेदी ने भी मारपीट की घटना की पुष्टि की है और इस साक्षी के बयान के अनुसार मुल्जिमानों द्वारा ताहिरा के पेट पर मारा गया था और ताहिरा को अस्पताल में भर्ती कराया गया था परन्तु जैसा कि साक्षियों के साक्ष्य की विवेचना की गयी है से स्पष्ट है कि घटना के दिनांक 01.10.2015 को पीड़िता ताहिरा किसी अस्पताल में भर्ती नहीं थी। साक्षी ने

स्पष्ट रूप से जिरह में कथन किया है कि किसी भी मुल्जिमान द्वारा टेंगारा से किसी को नहीं मारा गया था। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि मैंने मौके पर खून नहीं देखा था। इस प्रकार इस साक्षी के द्वारा दिया गया साक्ष्य वादिनी मुकदमा ताहिरा के द्वारा दिये गये बयान से भिन्न है जो अभियोजन कथानक को संदिग्ध बनाता है।

अभियोजन साक्षी सं0 4 शाकरून द्वारा भी मुल्जिमानों द्वारा ताहिरा को मारे पीटे जाने की बात और ताहिरा के पेट पर चोट आने की बात तथा खून गिरने की बात बतायी है। साक्षी ने जिरह में यह भी कथन किया है कि ताहिरा मौके पर बेहोश हो गयी थी और उसे भिनगा अस्पताल जब ले जाया गया था तब उसे होश आ गया था। उल्लेखनीय है कि इस साक्षी के बयान के अनुसार ताहिरा को 1.10.2015 को अस्पताल ले जाया गया था परन्तु पत्रावली पर अभियोजन की ओर से 1.10.2015 की कोई भी उपहति आख्या दाखिल नहीं की गयी है।

साक्षी का यह भी कथन है कि ताहिरा के कपड़ों पर खून लग गया था उसने ताहिरा के कपड़े बदलवाये थे परन्तु न्यायालय के समक्ष अथवा विवेचक को विवेचना के दौरान खून लगा कोई कपड़ा नहीं दिया गया है जो तथाकथित रूप से खून गिरने अथवा गर्भपात की संभावना संदिग्ध बनाता है।

साक्षी पी0 डब्ल्यू0 5 वारिस अली की मुख्य परीक्षा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि साक्षी घटनास्थल पर मौजूद नहीं था और उसने जो बयान दिया है वह सुनी सुनाई बातों के आधार पर दिया है।

इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से तथाकथित मारपीट की घटना के कारण वादिनी मुकदमा का गर्भपात होना अथवा भा0दं0सं0 की धारा 323 के अधीन वादिनी मुकदमा को उपहति पहुॅचाया जाना प्रथम दृष्ट्या साबित नहीं है। साक्ष्यों के विवेचन से यह भी स्पष्ट है कि दिनांक 1.10.2015 को उभय पक्षों के मध्य हाथापाई एवं गाली गलौज हुआ था तथा उसी घटना के संबंध में दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के विरूद्ध मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया था। अतः घटना का होना तथा मारपीट एवं गाली गलौज का होना साबित है। उक्त के अनुक्रम में प्रश्नगत अभियुक्तगण तुल्ला उर्फ जहीर, मोर्हरम अली, सकीना व आयशा के विरूद्ध भा०दं०सं० की धारा 504, 506 का आरोपित आरोप, युक्तियुक्त संदेह से परे, साबित होना पाया जाता है, जिसके कारण उपरोक्त प्रश्नगत अभियुक्तगण तुल्ला उर्फ जहीर, मोर्हरम अली, सकीना व आयशा को भा०दं०सं० की धारा 504, 506 के आरोपित आरोप में, दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं। अभियुक्तगण तुल्ला उर्फ जहीर, मोर्हरम अली, सकीना व आयशा के विरूद्ध भा०दं०सं० की धारा 323/34, 316 का आरोपित आरोप, युक्तियुक्त संदेह से परे, साबित होना नहीं पाया जाता है, जिसके कारण उपरोक्त प्रश्नगत अभियुक्तगण तुल्ला उर्फ जहीर, मोर्हरम अली,

सकीना व आयशा को भा०दं०सं० की धारा 323/34, 316 के आरोपित आरोप में, दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में, उपरोक्त मामले में **अभियुक्तगण तुल्ला उर्फ जहीर, मोर्हरम अली, सकीना** व **आयशा** को **भा०दं०सं०** की **धारा 504, 506 के आरोपित आरोप में क्रमशः दोषसिद्ध किया जाता है।** अभियुक्तगण जमानत पर हैं उनके बंधपत्र तथा प्रतिभू पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित

किया जाता है। **अभियुक्तगण तुल्ला उर्फ जहीर, मोर्हरम अली, सकीना** व **आयशा** को **न्यायिक अभिरक्षा** में लिया जाये।

दण्ड के बिन्दु पर सुनवायी हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनांक 16.04.2026

(राकेश धर दुबे)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती

दिनांक 16.04.2026

दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच बाद पुनः पेश हुई।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुये कथन किया गया है कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। वे अत्यन्त गरीब हैं,। अभियुक्ता सकीना महिला है तथा उसकी उम्र 67 वर्ष है। इसके अतिरिक्त अभियुक्ता आयशा महिला है तथा उसकी उम्र 45 वर्ष है। अतः अभियुक्तगण को कम से कम सजा से दण्डित किया जाये।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अभियुक्तगण को विहित दण्ड से दण्डित करने की मॉग की गयी।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर सम्यक् विचार किया और पत्रावली का भलीभॉति परिशीलन किया। पत्रावली के सम्यक् परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि मुकदमा अति प्राचीन है तथा दिनांक 01.10.2015 की घटना से सम्बन्धित है तथा पारस्परिक विवाद का मामला है। । सकीना व आयशा महिलाऍ हैं। अभियोजन पक्ष की तरफ से, अभियुक्तगण की पूर्व दोषसिद्धि का कोई विवरण, पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है।

इस स्तर पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **सुभाष चन्द्र बनाम स्टेट आफ यू0 पी0 2015 (90) ए सी सी पेज 240** में

प्रतिपादित सिद्धांत का भी अवलोकन किया।

अतः प्रस्तुत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्तगण को निम्नलिखित अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अभियुक्तगण **तुल्ला उर्फ जहीर, मोर्हरम अली, सकीना** व **आयशा** को भा0दं0सं0 की **धारा 323/34, 316 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।**

दोषसिद्ध अभियुक्तगण **तुल्ला उर्फ जहीर, मोर्हरम अली, सकीना व आयशा** प्रत्येक को भा0दं0सं0 की **धारा 504 के अन्तर्गत एक–एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।** अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने एक–एक माह का कारावास भुगतना होगा।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण **तुल्ला उर्फ जहीर, मोर्हरम अली, सकीना व आयशा** प्रत्येक को भा0दं0सं0 की **धारा 506 के अन्तर्गत एक–एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।** अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने एक–एक माह का कारावास भुगतना होगा।

इस निर्णय की एक–एक प्रति अभियुक्तगण को निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांक 16.04.2026

(राकेश धर दुबे)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती

निर्णय, आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश धर दुबे)
दिनांक 16.04.2026
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती